कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः– शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/नियुक्ति–इति /पीएससी–15 /2017 दिनांकः–25.06.2017 के तहत कविता रानीवाल व्याख्याता इतिहास को राउमावि, सुराणा–टोंक में नियुक्त किया गया। कविता रानीवाल ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 792/2021 कविता रानीवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में दायर की। माननीय अपील अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 10.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी कविता रानीवाल ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का विधवा होना, बच्चों का जयपुर में अध्ययनरत होने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. राउमावि, रामपुरा रूपा, टोंक फाटक, जयपुर 2. राउमावि, दुर्गापुरा, राजारामदेव पौदार, जयपुर 3. राउमावि, गांधीनगर, जयपुर 4. राउमावि, सांगानेर, जयपुर 5. राउमावि, गौनेर, जयपुर किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए स्थानों में व्या.इतिहास का पद रिक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा की गई मांग तर्कसंगत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/अपीलसंख्या 792/कवितारानीवाल/को.के/20–21 दिनांकः– 8/6/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जोधपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि)
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर